अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

199/22
बजरंगलाल V/s ओमप्रकाश

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	199/2022 श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़ श्री	
19.7.22	बजरंगलाल बनाम ओमप्रकाश	

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 14.07.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत् कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 7551 बाबत् भी प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया था परन्तु खसरा नम्बर 7551 बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जिससे यह निष्कर्ष यह माना जायेगा कि खसरा नम्बर 7551 बाबत् प्रार्थी का अनुतोष खारिज कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर अनुतोष खारिज करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी आराजीयात का खातेदार काश्तकार है और काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 अजनबी केता है जो जबरन आराजीयात में प्रवेश कर कब्जा करने तथा राजस्व रिकार्ड मे फेरफार कर आराजीयात को बेचान करने की फिराक में है उन्हे ऐसा करने से रोका जाना विधि अनुसार आवश्यक है। अन्यथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 अपने नापाक मंशुवों में कामयाब हो जायेंगे जिससे अपीलार्थी को अपूर्तनिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा में संभव नहीं है। अपीलार्थी मूल खातेदार है अजनबी केता के विरूद्ध अपीलार्थी का प्रकरण प्रबल है एंव सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पो0 संख्या 02 व 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अपील के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे कि व आराजीयात में प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी की संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का दायित्व है । अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों को सुनकर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। तब तक उभयपक्ष मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अभिभाषक उभयपक्ष एवं पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष दिनांक 03.08.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर